

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-23/07/2026

विषय:- राज्य के 09 (नौ) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र के भुगतान हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 10,98,17,844/- (रुपये दस करोड़ अन्तानवे लाख सत्रह हजार आठ सौ चौवालिस) मात्र की राशि की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-24(10), दिनांक-30.04.2021 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-50 के तहत राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के लिए Liquid Oxygen की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु Linde India Ltd. Kolkata के साथ निगम द्वारा किये गये एकरारनामा के आलोक में Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा सभी 10 (दस) स्वास्थ्य संस्थानों में Cryogenic Tank का अधिष्ठापन कर Liquid Oxygen की आपूर्ति की जा रही है। प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-3239 दिनांक-30.07.2026 द्वारा Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र का भुगतान हेतु रु० 13,00,00,000/- (रुपये तेरह करोड़) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- प्राप्त अनुरोध के आलोक में राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र के भुगतान हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 10,98,17,844/- (रुपये दस करोड़ अन्तानवे लाख सत्रह हजार आठ सौ चौवालिस) मात्र की राशि की व्यय निमित्त विमुक्ति प्रदान की जाती है।

3- इस राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत विवरणी में उल्लेखित संस्थानों के विपत्र कोड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में दवा भंडार (21-02) मद में बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

- 5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च संबंधित संस्थानों में Linde India Ltd. Kolkata के द्वारा Liquid Oxygen की जा रही आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित किये जाने वाले विपत्र एवं आपूरित सामग्री के आधार पर भुगतान विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे एवं राशि का भुगतान संबंधी मामले की सम्पूर्ण जवाबदेही उनकी होगी।
- 6- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का धन-ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 7- यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आंशिक में निर्गत किया जा रहा है।
- 8- इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- 9- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 7/बजट-46-15/2021 के पृष्ठ-84/टि० पर प्राप्त है।
- 10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन,


(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव

सं०-7/बजट-46-15/2021-379 (78) /स्वा०,पटना, दिनांक:-23/09/2026

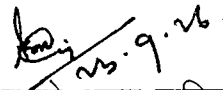
प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, मगध प्रमंडल, गया, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), दरभंगा, मधेपुरा एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी— 7बी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

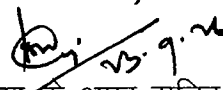

सरकार के अपर सचिव
H. S. S.

विवरणी

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	आवृत्त राशि
1	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 20-2210011100001	2,01,44,085
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा 20-2210011100002	85,08,029
3	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 20-2210011100004	1,93,16,420
4	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी 20-2210011100006	1,41,11,388
5	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर 20-2210011100008	1,79,54,706
6	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड— 20-2210011100009	1,16,60,385
7	भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा विपत्र कोड— 20-2210011100021	40,21,117
8	राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया 20-2210011100025	94,27,234
9	जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मधेपुरा 20-2210011100026	46,74,480
	कुल—	10,98,17,844

कुल योग—रु० 10,98,17,844 /—(रुपये दस करोड़ अन्तानवे लाख सत्रह हजार आठ सौ चौवालिस) मात्र

379(78)
23/09/2026


सरकार के अपर सचिव
H. S. S.

